

सरकारी वाहनों की नीलामी की अति-अल्पकालीन सूचना सं०-05/2026-27

1.	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2.	विज्ञापन दाता का नाम पता	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
3.	वाहनों का भौतिक निरीक्षण का आरंभ की तिथि	10.05.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से
4.	नीलामी पूर्व बैठक	दिनांक 13.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ का कार्यालय कक्ष।
5.	नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीयन की तिथि एवं समय	22.05.2026 को पूर्वाह्न 11.00 से पूर्वाह्न 12.00 बजे तक
6.	नीलामी प्रारंभ की तिथि एवं समय	22.05.2026 को अपराह्न 12.30 बजे

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत निम्नांकित सरकारी वाहनों की आम नीलामी दिनांक-22.05.2026 को निर्धारित की गई है। जो निम्नवत् है :-


क्र०सं०	वाहन का प्रकार	निबन्धन संख्या	चेसिस संख्या	वाहनों का अवस्थान	वाहन का अनुमानित मूल्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	Bolero camper	BR21GA0801	MA1RU4GH KF3D26706	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बिहारशरीफ का कार्यालय परिसर	150000	
2	Gypsy	BR21B7401	MASEGF415 00232203		15000	
3	Tata Sumo	BR01PD0344	MAT448048 BOK30808		90000	

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी 12:30 बजे अपराह्न से प्रारम्भ की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने के लिए 20000 रु० प्रतिभूति राशि के रूप में नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिभूति राशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आयकरदाता होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण स्वरूप में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन-पत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
5. आम नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को वाहन की बिक्री अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
6. वाहनों की नीलामी जहाँ है, जैसे है उसी स्थिति के आधार पर की जायेगी।
7. सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के अलावा उच्चतम बोली का 25% राशि उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा की गई प्रतिभूति राशि को जप्त कर वाहन को अगली नीलामी में बिक्री कर दी जायेगी।



8. असफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि उसी दिन नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी की स्वीकृति के उपरांत अनुसमर्थन पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित वाहन के नीलामी रद्द करते हुए जमा की गई राशि को राज्यसात कर लिया जायेगा एवं उक्त क्रेता को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
10. क्रेता द्वारा वाहन का निबंधन स्वयं कराया जाएगा। विभाग द्वारा निबंधन योग्य वाहन के लिये मात्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किया जाएगा।
11. किसी भी कार्य दिवस पर उक्त वाहनों को देखा जा सकता है एवं नीलामी से संबंधित जानकारी प्रमंडलीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
12. अद्योहस्ताक्षरी को नीलामी की तारीख बदलने अथवा नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. ऐसे व्यक्ति जिन पर वनवाद चल रहा है अथवा जो पेशेवर अवैध खनन / अवैध पातन माफिया के रूप में चिन्हित हैं उन्हें नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकेगा।
14. क्रय किये गये वाहन पर जी०एस०टी० 18% एवं 2.5% आयकर अनिवार्य होगा।
15. नीलामी से संबंधित अंतिम निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के द्वारा लिया जायेगा।
16. नीलामी प्रक्रिया, वाहनों के निरीक्षण या किसी भी अन्य जानकारी/सहायता हेतु इच्छुक बोलीदाता श्री सूरज कुमार से मोबाइल नंबर 9123124835 पर कार्यालय अवधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
S.